प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.06.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा 25,000/-रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 16.05.2024 को थाना अंकुर विहार पर पीड़िता/वादिया ने एक तहरीर दी कि अभियुक्त अमान द्वारा दुष्कर्म करना तथा एक मौलाना के साथ मिलकर जबरन धर्मपरिवर्तन कराकर निकाह करना। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग (दुष्कर्म व उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम) पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात दिनांक 17.05.2024 को थाना अंकुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अमान पुत्र नईम अहमद नि0 एफ 15 वेद विहार 1 फ्लोर, डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पीड़िता/वादिया का जबरन निकाह व धर्म परिवर्तन कराने वाला मौलाना अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार हो गया । मौलाना अभियुक्त शाने आलम उपरोक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 25,000/-रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

आज दिनांक 02.06.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व मुखबिर की सूचना पर 25,000/-रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त शाने आलम पुत्र महबूब अहमद निवासी मौ0 छेवडा फिरदौस मस्जिद के पास थाना कोतवाली अमरोहा जनपद अमरोहा, उम्र करीब 38 वर्ष को सभापुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

पीडिता व अभियुक्त अमान पुत्र नईम अहमद नि0 एफ 15 वेद विहार 1 फ्लोर, डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद की बहन दोनो आपस में दोस्त थी तथा एक साथ एक फैक्ट्री में काम करती थी । एक दिन अभियुक्त अमान की बहन फैक्ट्री मे नही गयी तो पीडिता उससे मिलने उसके घर पर आयी, उस समय घर पर कोई नही था, तब अभियुक्त अमान द्वारा पीडिता उपरोक्त के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए तथा उसे ब्लैकमेल करने लगा । उसके परश्चात अभियुक्त अमान पीडिता उपरोक्त को अमरोहा ले गया वहाँ पर अमान उपरोक्त द्वारा शाने आलम (मौलाना) पुत्र महबूब अहमद निवासी मौ0 छेवडा फिरदौस मस्जिद के पास थाना कोतवाली अमरोहा जनपद अमरोहा द्वारा पीडिता का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अमान का उसके साथ निकाह करा दिया गया । जनपद अमरोहा में अभियुक्त अमान उपरोक्त पीडिता के साथ करीब 01 माह तक रहा उसके पश्चात वह उसे लेकर डीएलएफ लेकर आ गया । यहाँ पर भी करीब 01 माह तक रहने के पश्चात एक दिन पीडिता मौका पाकर डीएलएफ के घर से बाहर निकल कर भाग कर अपने घर आ गयी थी ।

अभियुक्त मौलाना शाने आलम से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि अमान पुत्र नईम अहमद नि0 एफ 15 वेद विहार 1 फ्लोर, डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद मेरी रिश्तेदारी में लगता है । अमान एक हिन्दू लड़की को लेकर आया था तथा निकाह कराने के लिए कहा तो मैंने रिश्तेदारी की वजह से उस हिन्दू लड़की का अमान के साथ निकाह कराकर धर्म परिवर्तन करा दिया था तथा उसका नाम भी परिवर्तित करा दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

शाने आलम (मौलाना) पुत्र महबूब अहमद निवासी मौ0 छेवडा फिरदौस मस्जिद के पास थाना कोतवाली अमरोहा जनपद अमरोहा, उम्र करीब 38 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन से टक्कर मारकर अवैध तमन्चा दिखाने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक देशी पिस्टल . 32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, एक तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी बरामद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर दिनांक 30.05.2024 को वाहन थार सं0 DL8CBD 2384 के चालक द्वारा मोटर साइकिल सवार को टक्कर मारकर, गाली गलौज कर तमन्चा दिखाना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।
तत्पश्चात आज दिनांक 02.05.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र तिराहा से अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. मेहताब चौधरी पुत्र मंजूर अली नि0 जनता कालोनी थाना वेलकम नई दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष को एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व दूसरे अभियुक्त 2. आमिर पुत्र हाजी सज्जू निवासी जाफराबाद थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण

सोशल मीडिया के माध्यम से थाना लोनी पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें अभियुक्तों द्वारा थाना लोनी क्षेत्र में एक मोटर साइकिल सवार को टक्कर मारकर गाली गलौज करना तथा अवैध तमन्चा दिखा कर मौके से निकल जाना। जिसके संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उपरोक्त कार्यवाही की गई।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. मेहताब चौधरी पुत्र मंजूर अली नि0 जनता कालोनी थाना वेलकम नई दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष
2. आमिर पुत्र हाजी सज्जू निवासी जाफराबाद थाना वेलकम दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्तों के कब्जे से 01 देशी पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व घटना मे प्रयुक्त 01 थार कार बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम व थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान अन्तर्गत चेकिंग के दौरान ओयो होटल CUBBY INN मे देह व्यापार के अनैतिक कार्य में सम्मलित 04 अभियुक्तों को आपत्तिजनक सामान सहित गिरफ्तार किया गया, मौके से 03 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया।

<u>कार्यवाही का विवरण:</u> दिनांक 01.06.2024 को 112 हेल्पलाइन के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि शक्तिखन्ड 4 में स्थित ओयो होटल CUBBY INN मे महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा तत्काल ओयो होटल CUBBY INN में महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराये जाने में सम्मलित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधि0 1956 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान पता चला कि होटल मालिक / संचालक आनन्द कुमार द्वारा बहला फुसलाकर 03 महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। जिनको रेस्क्यू किया गया है। होटल मालिक / संचालक उपरोक्त कार्यवाही के दौरान छत के रास्ते से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u> –सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान पकड़े गये पुरुष व पीडित महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश मे आये की ओयो होटल के मालिक / संचालक द्वारा ज्यादा कमाई के लालच मे महिलाओं से देह व्यापार कराकर ग्राहको से पैसे लिये जाते है। होटल मालिक / संचालक द्वारा ओयो होटल मे नौकरी के लालच मे आयी महिलाओ को बहला फुसलाकर उनकी आपत्तिजनक फोटो पूर्व मे खींच ली गयी थी तथा उसे वायरल करने की धमकी देकर बार बार बुलाकर प्रतिदिन देह व्यापार कराया जा रहा था। यह कार्य करने में ग्राहको से भारी धनराशी लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था तथा मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी व बदनाम करने का भय दिखाकर देह व्यापार कराया जा रहा था।

होटल में मिली महिलाओं को प्रकरण में पीडित / गवाह मानकर उन्हे उनके परिवारजनो के सुपुर्द किया गया ताकि उनका उचित रिहैबिटेशन हो सके।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:</u>

1- लक्ष्य पुत्र अजय चौहान उम्र 26 निवासी सी – 2/85 न्यू अशोक नगर थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली।
2- अविनाश पुत्र तीर्थराज मिश्रा उम्र 32 निवासी जे 1001 अंतरिक्ष केनवाल थाना गौतमबुद्धनगर।
3- राहुल कुमार पुत्र प्रमोद कुमार उम्र 40 वर्ष निवासी म0न0 841 प्रथम तल ज्वाला नगर थाना विवेक विहार शाहदरा दिल्ली।
4- गौरव यादव पुत्र रामवीर सिंह उम्र 28 निवासी म0न0 103 शिवपुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

- 02 रजिस्टर व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

- सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण दिनांक 02.06.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.शिवा पुत्र राजू निवासी गली नं0 19 बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष, 2. अरुण पुत्र राजेन्द्र निवासी म0नं0 1 गली नं01 कर्दमपुरी शनि बाजार चौक थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र 21वर्ष को ताहिरपुर कट से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः

1. शिवा पुत्र राजू निवासी गली न0 19 बंथला थाना लोनी गाजायाबाद उम्र 20 वर्ष।
2. अरुण पुत्र राजेन्द्र निवसी म0नं0 1 गली नं01 कर्दमपुरी शनि बाजार चौक थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र 21वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन व व घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी बरामद।

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त अरुण उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी का एक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।